अपील सिविल,

न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और गोपाल सिंह के समक्ष

भारत सरकार

- अपीलकर्ता

बनाम

मार्केट एरिया कमेटी, **अंबाला** कैंट, *- उत्तरदाता*

1984 की नियमित प्रथम अपील संख्या 345।

17 मार्च, 1971 *

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (*1961 का XXIII*) - धारा *31* - कृषि उपज *की बिक्री और खरीद पर बाजार समिति द्वारा शुल्क की मांग - ऐसी मांग - चाहे आवर्ती हो - मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण*

यूनियन ऑफ इंडिया *बनाम* मार्केट एरिया कमेटी, अंबाला कैंट।

मांग को अस्वीकार करना - चाहे प्रत्येक मांग से प्राप्त हो - अंतिम मांग के छह महीने के भीतर दायर मुकदमा - चाहे समय द्वारा *रोक दिया गया हो ।.*

जहां कोई बाजार समिति कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद पर बाजार शुल्क लगाने की मांग करती है, वहां इस तरह के शुल्क की मांग बार-बार होती है। मांग; भुगतान किए जाने तक, यदि इस पर आपत्ति की जाती है, तो यह हर समय आवर्ती है और शुल्क का भुगतान करने का दायित्व आवर्ती देयता है। कृषि उपज की बिक्री और खरीद, जिस पर शुल्क लगाने की मांग की जाती है, एक निश्चित समय पर नहीं की जाती है। उन्हें बंद कर दिया जाता है और जब भी उन्हें बनाया जाता है, बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होता है। देयता से इनकार करने की कार्रवाई का कारण मुकदमा दायर होने तक हर मिनट अर्जित होता है। इसलिए इस तरह की देयता से इनकार करने वाला मुकदमा समय के भीतर होता है यदि शुल्क की अंतिम मांग के छह महीने के भीतर दायर किया जाता है। (पैरा 3)।

श्री ओ.पी.सिंघला की अदालत की डिक्री से नियमित प्रथम अपील */अंबाला शहर के उप-न्यायाधीश प्रथम वर्ग,* दिनांक 31 *अगस्त,* 1964 को *जुर्माने के साथ मुकदमा खारिज कर दिया।*

एच.एस. गुजराल। अपीलकर्ता की ओर से वकील बिरिंधलर सिंह के साथ

डी.एस. नेहरा, एडवोकेट, के.एस. नेहरा, एडवोकेट और जी सी। उत्तरदाता के लिए GARG, वकील।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था :-

न्यायमूर्ति '**डी**' *के. महाजन*—(1) इस अपील में शामिल एकमात्र प्रश्न पंजाब कृषि प्रक्रिया बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 31 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की व्याख्या के बारे में है। धारा 31 निम्नलिखित शब्दों में है :-

> "31. (1) बोर्ड या किसी समिति या उसके किसी सदस्य या कर्मचारी या ऐसी किसी समिति, सदस्य या कर्मचारी के निर्देशन में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए तब तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, जब तक कि कार्रवाई का कारण बताते हुए लिखित में नोटिस के बाद दो महीने की समाप्ति न हो जाए। इच्छुक वादी का नाम और निवास स्थान और वह राहत, जिसका वह दावा करता है, बोर्ड या किसी समिति के मामले में उसे दी गई है या उसके कार्यालय में छोड़ दी गई है, और ऐसे किसी सदस्य, कर्मचारी या व्यक्ति के मामले में, जैसा कि पूर्वोक्त है, उसे दिया गया है या उसके कार्यालय या सामान्य निवास स्थान पर छोड़ दिया गया है, और वादपत्र में एक बयान होगा कि ऐसा नोटिस इस तरह दिया गया है या छोड़ दिया गया है।
>
> 1. इस तरह के प्रत्येक मुकदमे को तब तक खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि यह कार्रवाई के कारण की तारीख से छह महीने के भीतर स्थापित नहीं किया जाता है।

(2) तथ्य सरल हैं और कोई विवाद नहीं मानते हैं। अपीलकर्ता भारत संघ है। II रेल प्रशासन को नियंत्रित कर रहा है। रेलवे प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को आपूर्ति के लिए अंबाला कैंट में अपनी अनाज की दुकान लगाई थी। इस अनाज की दुकान पर किए गए कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर अधिनियम के तहत बाजार समिति द्वारा शुल्क लगाया जाना है। इस शुल्क को लागू करना भारत संघ द्वारा वैध के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। भारत संघ द्वारा 12 अक्तूबर, 1963 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें इस लेवी पर आपत्ति जताई गई थी। इस नोटिस का आधार 1 अप्रैल 1963 को कलेक्टर की ओर से बाजार शुल्क की मांग करने वाला पत्र था। वर्तमान मुकदमा 2 मई, 1964 को इस घोषणा के लिए दायर किया गया था कि भारत संघ से इस तरह के किसी भी शुल्क की मांग नहीं की जा सकती है। इस वाद को बाजार समिति द्वारा मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 31 (2) के आधार पर चुनौती दी गई है। दलील यह है कि मुकदमा इसलिए रोका जाता है क्योंकि यह कार्रवाई के आदेश के छह महीने के भीतर दायर नहीं किया गया है। यह तर्क निचली अदालत में प्रबल हो गया है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है। भारत संघ ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

2.भारत संघ के वकील श्री गुजराल का तर्क है कि इस मामले में कार्रवाई का कारण कार्रवाई का आवर्ती कारण है और इसलिए, मुकदमा कार्रवाई के कारण के छह महीने के भीतर है। उनका तर्क है कि मुकदमा दायर होने तक हर मिनट कार्रवाई का एक आवर्ती कारण सामने आ रहा है। वाद पत्र में यह निर्धारित किया गया है कि कर की मांग अवैध है और संघ इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हम याचिका के गुण-दोष से चिंतित नहीं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कर की मांग, जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, यदि इस पर आपत्ति की जाती है, तो यह एक मांग है जो हर समय बार-बार होती है। सिद्धांत रूप में शुल्क का भुगतान करने की देयता एक आवर्ती देयता है। यदि ऐसा नहीं है तो भारत संघ ने एक निश्चित समय पर खरीदारी की और उसके बाद, कोई खरीद नहीं की। खरीद बंद और चालू की जाती है और जब भी कोई खरीद की जाती है तो उत्तरदाता को बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व उठता है। इस अर्थ में देयता एक आवर्ती देयता है। इस स्तर पर, 1908 के भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 23 और 1963 के परिसीमा अधिनियम की धारा 22 का संदर्भ देना उपयोगी होगा। वाक्यांशविज्ञान में एकमात्र अंतर यह है कि धारा 23 में 'गलत' शब्द का उपयोग किया गया था, जबकि धारा 22 शब्द 'टॉर्ट'। हालांकि, शब्द 'टॉर्ट' को 1963 के परिसीमा अधिनियम की धारा 2 (एम) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है और किसी भी नागरिक गलती को इस प्रकार कवर किया गया है:.—

> “2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,—
>
> x x x x x
>
> (म) 'टोर्ट' का अर्थ है एक नागरिक गलती जो विशेष रूप से एक अनुबंध का उल्लंघन या विश्वास का उल्लंघन नहीं है;
>
> x x x x x x x x x x ”

एकमात्र सवाल यह है कि क्या इस तरह की मांग एक बार-बार होने वाली मांग होगी? हमने पहले ही कहा है कि यह एक आवर्ती मांग होगी और इसलिए, अधिनियम की धारा 31 (2) के संदर्भ में मुकदमा कार्रवाई के कारण के उपार्जन के छह महीने के भीतर होगा।

4. हालांकि, प्रतिवादी के वकील नेहरा का तर्क है कि धारा 31 (1) के तहत नोटिस की आवश्यकता को देखते हुए, धारा 31 (2) का अर्थ "नोटिस में उल्लिखित कार्रवाई का कारण" के रूप में लगाया जाना चाहिए। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। यदि अधिनियम की धारा 31(2) के निर्माताओं का यही इरादा होता तो यह निम्नलिखित शब्दों में होता :-

> "प्रत्येक मुकदमा तब तक खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि यह नोटिस में उल्लिखित कार्रवाई के कारण की तारीख से छह महीने के भीतर या नोटिस के छह महीने की तारीख से शुरू नहीं किया जाता है।

हालांकि, अधिनियम के निर्माताओं ने "कार्रवाई के कारण के उपार्जन की तारीख से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। हमें यह मानना चाहिए कि वे समझते हैं कि कार्रवाई के कारण दो प्रकार के होते हैं - वे जो एक बार उत्पन्न होते हैं और वे जो उत्पन्न होते रहते हैं, अर्थात, कार्रवाई का आवर्ती कारण। छह महीने की अवधि को कार्रवाई के कारण के प्रकार के संदर्भ में गणना की जानी चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम नीचे दिए गए न्यायालय के निर्णय से भिन्न हैं।

5.ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस अपील को अनुमति दी जाती है, अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए उसके पास भेज दिया जाता है। पक्षकारों को 19 अप्रैल, 1971 को उनके समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। अपील पर भुगतान किया गया अदालत-शुल्क वापस किया जाना चाहिए। लागत कारण में लागत होगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा